सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 943 राँची, बुधवार, 3 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 सितम्बर, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1271, दिनांक 15 मार्च, 2017 एवं पत्रांक-2751, दिनांक 31 मई, 2017
2. उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक-1221, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 एवं पत्रांक-589, दिनांक 4 मई, 2017
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-5465, दिनांक 18 अप्रैल, 2017, आदेश सं०-7314, दिनांक 19 जून, 2017 एवं संकल्प सं०-7449, दिनांक 22 जून, 2017
4. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-338, दिनांक 29 नवम्बर, 2017

संख्या-5/आरोप-1-68/2017 का.- 7162-- श्री संजय कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुदड़ी, प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1271, दिनांक 15 मार्च, 2017 के माध्यम से उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-1221, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गयेः-

आरोप सं०-1- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गुदड़ी के द्वारा बालूघाट निलामी से सारूगाढ़ा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई गई राशि का संबंधित मुखिया से मिलीभगत कर राशि दुरूपयोग, विचलन एवं गबन किया गया ।

आरोप सं०-2- मनरेगा अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कम कार्य कराया जाना, मजदूरी भुगतान लंबित रखना, जॉबकार्ड सत्यापन में न्यूनतम उपलब्धि एवं मापीपुस्त का समय पर न भरा जाना एवं FTO समय पर नहीं करना ।

आरोप सं०-3- प्रखण्ड अंतर्गत चल रही इंदिरा आवास योजना को वित्तीय वर्ष 2011 से लंबित रखना तथा वांछित सूचना/प्रतिवेदन जानबूझकर जिला मुख्यालय को नहीं भेजना ।

आरोप सं०-4- उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करना, स्पष्टीकरण का ससमय जवाब नहीं देना तथा मनमानी कार्य करना एवं बैठक में अनुपस्थित रहना है ।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-5465, दिनांक 18 अप्रैल, 2017 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसी बीच, श्री सिन्हा के विरूद्ध पुनः ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2751, दिनांक 31 मई, 2017 के माध्यम से उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-589, दिनांक 4 मई, 2017 द्वारा गुदड़ी प्रखण्ड के पंचायत टोमडेल, डारियो कमरोड़ा, गुलीकेरा, बीरकेल, कमरोड़ा, बान्दु अन्तर्गत योजना कार्य को ससमय पूर्ण नहीं करने संबंधी आरोप प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध करते हुए श्री सिन्हा को निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई ।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०-7314, दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-7449, दिनांक 22 जून, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा,से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-338, दिनांक 29 नवम्बर, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रथम प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोप सं०-1, 3 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा द्वितीय प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोप यथा-छः लाभुकों का आवास अपूर्ण रहने एवं योजना से संबंधित साईन बोर्ड नहीं लगाये जाने संबंधी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त, श्री संजय कुमार सिन्हा, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुदड़ी, प० सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii) के तहत् तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 943 -- 50